

**Form-1**

**Government of Uttarakhand  
Office of The District Collector : Udham Singh Nagar**

No:..... Form I .....

Dated:..... 20.12.21 .....

**To whomsoever it may concern**

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of India's Letter No:- 11-9/98-EC(pt.) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, For Short) on the forest land proposed To be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued Certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.980** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural road Development Dept. Uttarakhand for Construction of Devipura to Gyanpur godi motor Road in Udham Singh Nagar District** falls within Jurisdiction of **Gyanpur godi Village's in Sitarganj Tehsils.**

It is further Certified That:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.980** Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and district level committee are enclosed as annexure I to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of other FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

  
जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर

Signature

(Full name of the official Seal of the District Collector)

**Form-II**  
(For Project other than linear project)  
Government of... Uttarakhand  
Office of the District Collector... Udham Singh Nagar

No... Form II ...

Dated... 20/12/21 .....


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of India's Letter No:- 11-9/98-EC(pt.) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, For Short) on the forest land proposed To be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued Certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.980** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural road Development Dept. Uttarakhand for Construction Devipura to Gyanpur Godi motor Road in Udham Singh Nagar** District falls within Jurisdiction of Village's in **Sitarganj** Tehsils.

It is further Certified That:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.980** Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and district level committee are enclosed.
- (e) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA
- (f) the each of concerned gram sabha's has certifies that all formalities/processes under FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A Copy of certificate issued by the gram sabha of **Gyanpur Godi** village (s) is enclosed.
- (g) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a Quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present;
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it
- (i) the rights of primitive tribal groups and pre-agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of FRA.

Encl: As above

  
**जिलाधिकारी**  
**उधम सिंह नगर**  
Signature  
(Full name of the official Seal of the District Collector)




OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT UDHAM SINGH NAGAR

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Rights) Act  
(FRA) 2006.**

A meeting of the district level committee of Udhm Singh Nagar district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Yugal Kishore Pant.....I.A.S., District Magistrate, Udhm Singh Nagar on 20.12.21 at ..... at Udhm Singh Nagar in which the application claiming rights in mail area measuring **0.980 hact.** for the construction of road & bridge from **Devipura to Gyanpur Godi** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division Level Committee of **Udhm Singh Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said propose.

Place:

  
जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee


Dated:

## भू-अर्जन प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0। विकासखण्ड सितारगंज जिला उधम सिंह नगर में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 136/111(2)/20-29(प्रा0आ0)/2018, देहरादून, दिनांक-1 फरवरी 2021 द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग को राज्य योजना के अर्न्तगत लोक निर्माण विभाग से कराया जाना है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 0.980 है0 वनभूमि हेतु नियमानुसार वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय में ऑन लाईन करने हेतु गठित किया गया है। वनभूमि की आवश्यकता को न्यूनतम 0.980 है0 रखने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में नाप भूमि 0.546 है0 ग्राम सभा ज्ञानपुर गोढ़ी की कुल 25 कास्तकारों से नियमानुसार लेना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित कास्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण बाधित नहीं होगा।

जिलाधिकारी-उधम सिंह नगर  
फोन नं0-

  
जिलाधिकारी उधम सिंह नगर  
(शासकीय मोहर/दिनांक)



परियोजना का नाम:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0 हेतु 0.980 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सितारगंज  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग (0.980 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.000 है0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.980 है0 वनभूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सितारगंज) की दिनांक- 04/12/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सैनी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री तुषार सैनी उपजिलाधिकारी सितारगंज अध्यक्ष
- 2- श्री शिवराज चन्द उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री शान्ति कौशिक सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती दीपा जोशी बी0डी0सी0 क्षेत्र ऐंचता सदस्य।


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद उधम सिंह नगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग हेतु 0.980 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


दीपा जोशी  
सदस्य क्षेत्र पंचायत  
ऐंचता, वि०ख०सितारगंज  
उधम सिंह नगर

तुषार सैनी  
उप जिलाधिकारी  
सितारगंज


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सिंतारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.980 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


  
सदस्य क्षेत्र पंचायत  
ऐचता, वि०ख०सितारगंज  
उधम सिंह नगर

  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-सितारगंज  
जनपद-उधम सिंह नगर

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-सितारगंज  
जनपद-उधम सिंह नगर

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सितारगंज  
बाराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-सितारगंज  
जनपद-उधम सिंह नगर



परियोजना का नाम:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0 हेतु 0.980 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी  
तहसील- सितारगंज, जिला-उधम सिंह नगर।

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) (लम्बाई-2.180 किमी0) हेतु निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.980 है0 सिविल सोयम भूमि 0.000 है0, वन पंचायत भूमि 0.000 है0 अर्थात् कुल 0.980 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (1)ज्ञानपुर गोढ़ी द्वारा सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनुपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत देवीपुरा  
वि0ख0सितारगंज(ऊ0सि0न

पार्वती देवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत-देवीपुरा  
वि.ख.सितारगंज, उ.सि.नगर  
ग्राम प्रधान

नोट:-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 1-12-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजापुताप सिंह	राजापुताप सिंह
2	कमलेश गुप्ता	कमलेश गुप्ता
3	ठाकुर प्रसाद	ठाकुर प्रसाद
4	अपेक्ष	अपेक्ष
5	अंकुर चौहान	अंकुर चौहान
6	जयदेव चौहान	जयदेव चौहान
7	शेर सिंह	शेर सिंह
8	मनजीत सिंह	मनजीत सिंह
9	राम आशीष	राम आशीष
10	राजपुताप	राजपुताप
11	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह
12	आविन्द कुमार	आविन्द कुमार
13	राजेश कुमार सिंह	राजेश कुमार सिंह
14	सुरेश यादव	सुरेश यादव
15	आविन्द यादव	आविन्द यादव
16	राजनाथ	राजनाथ
17	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
18	राम कुमार	राम कुमार
19	गुरदेव सिंह	गुरदेव सिंह
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ग्राम पंचायत वि० ख० सितारगंज (ऊ० सि० न०)  
ग्राम पंचायत-देवीपरा  
वि० ख० सितारगंज (ऊ० सि० न०)

ग्राम प्रधान  
पार्वती देवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत-देवीपरा  
वि० ख० सितारगंज (ऊ० सि० न०)